

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 489 सन 2021

अनवान :-

1. रायसिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. ओमप्रकाश पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
4. दीपक नाबालिग पुत्र विनोद कुमार जरिये संरक्षिका माता ममता पत्नी विनोद कुमार जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
5. विजयसिंह पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
6. जयपाल पुत्र हरिराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. मुखराम पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
2. रामकुमार पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
3. श्रवण पुत्र भादरराम भादरराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
4. हरीराम पुत्र भादरराम भादरराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
5. माया पुत्री मुखराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
6. अशोका पुत्री मुखराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
7. सुनीता पुत्री श्रवण जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
8. कविता पुत्री श्रवण जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
9. विनोद पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
10. सरबती पत्नी हरीराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी


पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 15/12/21

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता संख्या 46/46 की कुल 6.9480हैक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब एव रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 10/11 की कुल 7.843हैक प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 253/5228 हिस्सा एवं खाता संख्या 147/143 की कुल 7.5900हैक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब एवं खाता संख्या 149/143 की कुल 0.759हैक प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 127/129 की कुल 1.0120हैक वादी संख्या 1 व वादी संख्या 5 बहिब तथा खाता संख्या 150/152 की कुल 3.1620हैक वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 10 बहिब रोही मोज चक 13 केएनएन के खाता संख्या 170/170 की कुल 6.5780हैक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब एवं रोही मोजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 34/34 की कुल 9.880हैक रोही मोजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 663/566 की कुल 2.5040हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा भादरराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भादरराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,10 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,10 जो वादीगण के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा भादरराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 बराबर का हक हिस्सा है।



प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 वादी की बहने है एवं भादरराम , मुखराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 10 मुखराम की पत्नि है प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ,10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,9 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,9 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 5 के अनुसार है इसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,9 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है ।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,10 के नाम से दर्ज हैक की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1ता 4 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता भादरराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ,10 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/पुत्र वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,9 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1ता 4 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,9 के नाम से उनके बाहमी बटवा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता संख्या 46/46 की कुल 6.9480 हैक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब एव रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 10/11 की कुल 7.843 हैक प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 253/5228 हिस्सा एवं खाता संख्या 147/143 की कुल 7.5900 हैक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब एवं खाता संख्या 149/143 की कुल 0.759 हैक प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 127/129 की कुल 1.0120 हैक वादी संख्या 1 व वादी संख्या 5 बहिब तथा खाता संख्या 150/152 की कुल 3.1620 हैक वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 10 बहिब रोही मोज चक 13 केएनएन के खाता संख्या 170/170 की कुल 6.5780 हैक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब एवं रोही मोजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 34/34 की कुल 9.880 हैक रोही मोजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 663/566 की कुल 2.5040 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

३

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा भादरराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भादरराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,10 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,10 जो वादीगण के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा भादरराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 वादी की बहने है एवं भादरराम , मुखराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 10 मुखराम की पत्नि है प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ,10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,9 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,9 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 5 के अनुसार है इसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,9 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है ।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता संख्या 46/46 की कुल 6.9480हैक् प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब एव रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 10/11 की कुल 7.843हैक् प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 253/5228 हिस्सा एवं खाता संख्या 147/143 की कुल 7.5900हैक् प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब एवं खाता संख्या 149/143 की कुल 0.759हैक् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 127/129 की कुल 1.0120हैक् वादी संख्या 1 व वादी संख्या 5 बहिब तथा खाता संख्या 150/152 की कुल 3.1620हैक् वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 10 बहिब रोही मोज चक 13 केएनएन के खाता संख्या 170/170 की कुल 6.5780हैक् प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब एवं रोही मोजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 34/34 की कुल 9.880हैक् रोही मोजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 663/566 की कुल 2.5040हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

वादी का कथन है वाद भूमि उनके पूर्वज भादरराम के देहान्त होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 10 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का बराबर का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ,10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ,10 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी का कथन है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,9 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने काश्त की सुविधा के मध्यनजर बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,9 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता संख्या 46/46 के कुल खसरा 41 का कुल क्षेत्रफल 6.948 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 3 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 11 केएनएन के खाता संख्या 10/11 के कुल खसरे 32 का कुल क्षेत्रफल 7.843 है० भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक का 253/5228 हिस्सा में नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा खाता संख्या 147/143 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 7.5900 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 324/370 (25) के किला नं. 1 ता 4 प्रत्येक की 0.253 है०, किला नं. 5/1 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, 5/2 की 0.240 है० की कुल 1.265 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जावे तथा शेष भूमि 6.325 है० भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे व 1/3 हिस्सा पर वादी संख्या 4 दीपक के नाम दर्ज की जावे तथा खाता संख्या 149/142 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 0.759 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 हरिराम के नाम दर्ज की जावे तथा 13 केएनएन के खाता संख्या 150/152 के कुल खसरे 18 की कुल 3.162 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 10 व वादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 ओम प्रकाश के नाम दर्ज की जावे व खाता संख्या 127/129 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.012 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 रायसिंह के नाम पूर्व में दर्ज भूमि के साथ शामिल की जावे तथा खाता संख्या 170/170 का कुल क्षेत्रफल 6.578 है० भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 वा 3 का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 233/379 (25) किला नं. 21 ता 24 प्रत्येक की 0.253 है०, 25/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला 25/2 की 0.228 है० कुल 1.265 है० भूमि पर वादी संख्या 5 के नाम दर्ज की जावे तथा प० नं० 323/380 (34) किला नं. 1/1 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, 1/2 की 0.228 है०, किला नं. 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8 ता 10 की कुल 2.530 है० भूमि वादी संख्या 6 जयपाल के नाम दर्ज की जावे प० नं० 325/376 (16) किला नं. 8 की 0.253 है०, 9 मिन पूर्व की 0.126 है०, 12 मिन पूर्व की 0.127 है०, 13, 16, 17 व 18 प्रत्येक की 0.253 है०, 19 मिन पूर्व 0.126 है० कुल 1.644 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 4 हरिराम के नाम दर्ज की जावे प० नं० 325/376 (16) के किला नं. 11 मिन दक्षिण की 0.127 है०, 12 मिन पश्चिमी दक्षिणी कोना की 0.063 है०, 19 मिन पश्चिम की 0.127 है०, 20 की 0.253 है० कुल 0.570 है० भूमि वादी संख्या 1 रायसिंह के नाम दर्ज की जावे तथा प० नं० 325/376 (16) किला नं. 9 की मिन पश्चिम 0.127 है०, 10 की 0.253 है, 11 मिन उत्तर की 0.126 है०, 12 मिन उत्तरी पश्चिमी कोना

की 0.063 है0 कुल 0.569 है0 भूमि पर वादी संख्या 2 ओम प्रकाश के नाम दर्ज की जावे व 14 केएनएन के खाता संख्या 34/34 का कुल क्षेत्रफल 9.880 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 के पूर्व में दर्ज सहित 2.235 है0 भूमि में ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 663/566 की कुल 2.504 है0 भूमि के प0 नं0 318/367 (473) किला नं. 20/2 की 0.240 है0, 19 मिन पश्चिम की 0.079 है0, 21/2 की मिन उत्तर 0.215 है0, 22 मिन उत्तरी पश्चिमी कोना 0.080 है0 कुल 0.614 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 मुखराम के नाम दर्ज की जावे व प0 नं0 318/367 (473) किला नं. 18 मिन पश्चिम की 0.130 है0 19 मिन पूर्व की 0.174 है0, 22 मिन पूर्व उत्तरी कोना की 0.161 है0, 23 मिन पश्चिम की 0.136 है0 कुल 0.601 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 श्रवण के नाम दर्ज की जावे तथा प0 नं0 318/367 (473) किला नं. 17 मिन पश्चिम की 0.190 है, 18 मिन पूर्व की 0.123 है0, 23 मिन उत्तरी पूर्वी कोना 0.105 है0, 24 मिन उत्तरी पश्चिमी कोना 0.196 है0 कुल 0.614 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 रामकुमार के नाम दर्ज की जावे तथा प0 नं0 318/367 (473) किला नं. 16 की 0.253 है, 17/1 की मिन पूर्व 0.063 है0, 24 मिन उत्तरी पूर्व कोना की 0.045 है0, 25 की 0.253 है0 कुल 0.614 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 हरिराम के नाम दर्ज की जावे व प0 नं0 318/367 (473) किला नं. 21/2 मिन दक्षिण 0.025 है0, 22/2 मिन पश्चिम 0.012 है0, 23 मिन दक्षिण की 0.012 है0, 24 मिन दक्षिण की 0.012 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13/2/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)



सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रायसिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. ओमप्रकाश पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
4. दीपक नाबालिग पुत्र विनोद कुमार जरिये संरक्षिका माता ममता पत्नी विनोद कुमार जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
5. विजयसिंह पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
6. जयपाल पुत्र हरिराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. मुखराम पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
2. रामकुमार पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
3. श्रवण पुत्र भादरराम भादरराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
4. हरीराम पुत्र भादरराम भादरराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
5. माया पुत्री मुखराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
6. अशोका पुत्री मुखराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
7. सुनीता पुत्री श्रवण जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
8. कविता पुत्री श्रवण जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
9. विनोद पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
10. सरबती पत्नी हरीराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 923 सन 2020 निर्णय दिनांक- 15/3/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कौचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता संख्या 46/46 के कुल खसरा 41 का कुल क्षेत्रफल 6.948 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 3 के 80 हि० 80 दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 11 केएनएन के खाता संख्या 10/11 के कुल खसरे 32 का कुल क्षेत्रफल 7.843 है० भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक का 253/5228 हिस्सा में नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा खाता संख्या 147/143 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 7.5900 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 324/370 (25) के किला नं. 1 ता 4 प्रत्येक की 0.253 है०, किला नं. 5/1 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, 5/2 की 0.240 है० की कुल 1.265 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जावे तथा शेष भूमि 6.325 है० भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे व 1/3 हिस्सा पर वादी संख्या 4 दीपक के नाम दर्ज की जावे तथा खाता संख्या 149/142 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 0.759 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 हरिराम के नाम दर्ज की जावे तथा 13 केएनएन के खाता संख्या 150/152 के कुल खसरे 18 की कुल 3.162 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 10 व वादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 ओम प्रकाश के नाम दर्ज की जावे व खाता संख्या 127/129 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.012 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 रायसिंह के नाम पूर्व में दर्ज भूमि के साथ शामिल की जावे तथा खाता संख्या

170/170 का कुल क्षेत्रफल 6.578 है० भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 वा 3 का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 233/379 (25) किला नं. 21 ता 24 प्रत्येक की 0.253 है०, 25/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला 25/2 की 0.228 है० कुल 1.265 है० भूमि पर वादी संख्या 5 के नाम दर्ज की जावे तथा प० नं० 323/380 (34) किला नं. 1/1 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, 1/2 की 0.228 है०, किला नं. 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8 ता 10 की कुल 2.530 है० भूमि वादी संख्या 6 जयपाल के नाम दर्ज की जावे प० नं० 325/376 (16) किला नं. 8 की 0.253 है०, 9 मिन पूर्व की 0.126 है०, 12 मिन पूर्व की 0.127 है०, 13, 16, 17 व 18 प्रत्येक की 0.253 है०, 19 मिन पूर्व 0.126 है० कुल 1.644 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 4 हरिराम के नाम दर्ज की जावे प० नं० 325/376 (16) के किला नं. 11 मिन दक्षिण की 0.127 है०, 12 मिन पश्चिमी दक्षिणी कोना की 0.063 है०, 19 मिन पश्चिम की 0.127 है०, 20 की 0.253 है० कुल 0.570 है० भूमि वादी संख्या 1 रायसिंह के नाम दर्ज की जावे तथा प० नं० 325/376 (16) किला नं. 9 की मिन पश्चिम 0.127 है०, 10 की 0.253 है, 11 मिन उत्तर की 0.126 है०, 12 मिन उत्तरी पश्चिमी कोना की 0.063 है० कुल 0.569 है० भूमि पर वादी संख्या 2 ओम प्रकाश के नाम दर्ज की जावे व 14 केएनएन के खाता संख्या 34/34 का कुल क्षेत्रफल 9.880 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 के पूर्व में दर्ज सहित 2.235 है० भूमि में ब० हि० ब० दर्ज की जावे तथा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 663/566 की कुल 2.504 है० भूमि के प० नं० 318/367 (473) किला नं. 20/2 की 0.240 है०, 19 मिन पश्चिम की 0.079 है०, 21/2 की मिन उत्तर 0.215 है०, 22 मिन उत्तरी पश्चिमी कोना 0.080 है० कुल 0.614 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 मुखराम के नाम दर्ज की जावे व प० नं० 318/367 (473) किला नं. 18 मिन पश्चिम की 0.130 है० 19 मिन पूर्व की 0.174 है०, 22 मिन पूर्व उत्तरी कोना की 0.161 है०, 23 मिन पश्चिम की 0.136 है० कुल 0.601 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 3 श्रवण के नाम दर्ज की जावे तथा प० नं० 318/367 (473) किला नं. 17 मिन पश्चिम की 0.190 है, 18 मिन पूर्व की 0.123 है०, 23 मिन उत्तरी पूर्वी कोना 0.105 है०, 24 मिन उत्तरी पश्चिमी कोना 0.196 है० कुल 0.614 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 2 रामकुमार के नाम दर्ज की जावे तथा प० नं० 318/367 (473) किला नं. 16 की 0.253 है, 17/1 की मिन पूर्व की 0.063 है०, 24 मिन उत्तरी पूर्व कोना की 0.045 है०, 25 की 0.253 है० कुल 0.614 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 4 हरिराम के नाम दर्ज की जावे व प० नं० 318/367 (473) किला नं. 21/2 मिन दक्षिण 0.025 है०, 22/2 मिन पश्चिम 0.012 है०, 23 मिन दक्षिण की 0.012 है०, 24 मिन दक्षिण की 0.012 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/2/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)